—
—/

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,रायपुर जिला भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारीः—सुश्री नेहा छीपा, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बरः—110/2022 (2022/367) वादपत्र

उनवान

1. नेनुदास पिता केशुदास जोगी निवासी मण्डी तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2. शम्भुदास पिता केशुदास जोगी निवासी मण्डी तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

वादीगण

बनाम

1. पारसदास पिता बरदादास जोगी निवासी मण्डी तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2. कमला पुत्री बरदादास पत्नि मांगुदास जोगी निवासी मण्डी हाल नि.ठुमियां तह. आसीन्द
3. सन्तोष पुत्री बरदादास पत्नि प्यारा रावल जोगी निवासी मण्डी हाल नि.बागजणा त. करेड़ा
4. पानी पुत्री बरदादास पत्नि भंवरनाथ जोगी निवासी मण्डी हा.नि.मोखमपुरा मृतक के बजाय

4/1. कैलाशनाथ पिता भंवरनाथ जोगी निवासी मोखमपुरा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

4/2. भैरी पुत्री भंवरनाथ पत्नि हीरावन जोगी निवासी मोखमपुरा तहसील रायपुर

5. बड़ौदा राजस्थान क्षैत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा रायपुर जिला भीलवाड़ा जरिये शाखा प्रबन्धक
6. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

प्रतिवादीगण

वाद पत्र अंतर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थित

1. हरिशचन्द्र टेलर— अधिवक्ता वादीगण

निर्णय

दिनांकः—10.05.2023

पत्रावली पेश हुई। प्रकरण का संक्षेप मे विवरण इस प्रकार है कि राजस्व ग्राम मण्डी पटवार हल्का बागड़ तहसील रायपुर के बैरून हल्का आबादी में वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 4 की शामलाती खातेदारी अधिकार कृषि आराजियात संख्या 405 रकबा 0.07 है0, आराजी संख्या 416 रकबा 0.09 है0, आराजी संख्या 510/404 रकबा 0.28 है0, आराजी संख्या 513/406 रकबा 0.32 है0, आराजी संख्या 516/409 रकबा 0.21 है0, आराजी संख्या 518/410 रकबा 0.22 है0, आराजी संख्या 520/411 रकबा 0.09 है0, आराजी संख्या 522/412 रकबा 0.08 है0, आराजी संख्या 524/413 रकबा 0.07 है0, आराजी संख्या 526/414 रकबा 0.17 है0, आराजी संख्या 528/415 रकबा 0.16 है0, आराजी संख्या 530/418 रकबा 0.05 है0, आराजी संख्या 532/419 रकबा 0.68 है0, आराजी संख्या 534/420 रकबा 0.33 है0, आराजी संख्या 536/441 रकबा 0.49 है0, आराजी संख्या 538/444 रकबा 0.15 है0, आराजी संख्या 540/446 रकबा 1.05 है0, आराजी संख्या 542/447 रकबा 0.21 है0, कुल किता 18 कुल रकबा 4.72 है0 भूमि राजस्व खाता संख्या 24 पर दर्ज होकर स्थित है। प्रमाण में वर्तमान जमाबन्दी व नक्शा ट्रेस वादपत्र के साथ पेश की है। वाद पत्र की कलम संख्या 1 में अंकित कृषि आराजियात में वादी संख्या 1 का 1/4 एवं वादी संख्या 2 का 1/4 हिस्सा यानि वादीगण का 1/2 हिस्सा निहित है तथा प्रतिवादी

संख्या 1 लगायत 4 तक प्रत्येक का 1/8–1/8 हिस्सा यानि वादीगण का कुल 1/2 हिस्सा निहित है। वादीगण व प्रतिवादीगण अपने अपने हिस्से पर काबिज होकर फसल काश्त करते चले आ रहे है। वादीगण व प्रतिवादीगण का राजस्व खाता शामलाती रहने से लगान जमा कराने अपने हिस्से की भूमियो को उपजाउ बनाने, विकसित करने आदि में भारी अड़चन पैदा रहती है, जिससे वादीगण 1/2 हिस्से का हुए बाई मीट्स एण्ड बोण्ड्स के आधार पर विभाजन करवाया जाकर स्वतंत्र राजस्व खाता कायम करने की डिक्री जारी फरमाया जाना आवश्यक हो गया है। अतः श्रीमान से सादर प्रार्थना है कि बहक वादीगण विरूद्व प्रतिवादी इस आशय की विभाजन की डिक्री सादिर फरमाई जावे कि उक्त वादवर्णित आराजियात में वादीगण का 1/2 हिस्से का बाई मीट्स एण्ड बॉण्ड्स के आधार पर विभाजन किया जाकर वादीगण का अलग अलग स्वंतत्र राजस्व खाता कायम करने का आदेश प्रतिवादी संख्या 2 को प्रदान फरमाया जाए।

प्रस्तुत वाद पत्र के आधार पर प्रकरण दिनांक 04.11.2022 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को सम्मन जारी किये गये। सम्मन की पालना में प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से जवाब मय काउन्टर क्लेम प्रस्तुत किया गया जो शामिल पत्रावली किया गया तथा प्रतिवादी संख्या 5, 6 फॉरमल पक्षकार है जिनसे कोई दाद नही चाही गई है।

प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से प्रस्तुत जवाब व काउन्टर क्लेम में अंकन किया कि वादपत्र की कलम संख्या 1 स्वीकार है। प्रतिवादी संख्या 1 का 1/8, कमला का 1/8, सन्तोष का 1/8 व पानी का 1/8 हिस्सा निहित है प्रतिवादी संख्या 2 लगायत 4 मुझ प्रतिवादी संख्या 1 की बहिने है जिन्होने पंजीकृत हकत्याग पत्र से अपना हिस्सा त्याग दिया है जिससे अब प्रतिवादी संख्या 1 का 1/2 हिस्सा निहित हो गया है। विभाजन से कोई आपत्ति नही है। मौके पर अलग अलग काबिज है जिससे पूर्व में हुए विभाजन अनुसार कराने में कोई आपत्ति नही है। काउन्टर क्लेम के रूप में निवेदन किया कि प्रतिवादी संख्या 1 के पक्ष में प्रतिवादी संख्या 2 लगायत 4 द्वारा हक त्याग कर देने से प्रतिवादी संख्या 1 का 1/2 निहित हो गया है जिससे पूर्व में हुए मोखिक विभाजन व अलग अलग काबिज होकर चले आ रहे है उस अनुसार विभाजन कराना आवश्यक व न्यायोचित है। अतः निवेदन है कि प्रतिवादी संख्या 1 का 1/2 हिस्से का कब्जे के अनुसार विभाजन करवाया जावे, व अलग से राजस्व खाता कायम कराया जावे।

मैने पत्रावली का अवलोकन कर पत्रावली में उपलब्ध रेकार्ड पर मनन किया तो पाया कि ग्राम कलालखेड़ी तहसील रायपुर के बैरून हल्का आबादी मे वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 के सामलाती कृषि आराजियात खाता संख्या 24 में कुल किता 18 कुल रकबा 4.72 है0 भूमि मे वादी संख्या 1 व 2 का संयुक्त रूप से 1/2 हिस्सा है। जिसे वादीगण अलग स्वंतत्र राजस्व खाता खुलवाना चाहते है। एवं प्रतिवादी भी काउन्टर क्लेम प्रस्तुत कर अपना निहित 1/2 हिस्सा अलग कराना चाहता है। ऐसी स्थिति में मौके पर कब्जे व हिस्से को

ध्यान में रखते हुए बाई मीट्स एण्ड बोण्ड्स के आधार पर विभाजन किया जाकर वाद स्वीकार कर प्राथमिक डिक्री जारी की जाना उचित है।

आदेश

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादीगण का वाद पत्र स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है ग्राम मण्डी पटवार हल्का बागड़ तहसील रायपुर के बैरून हल्का आबादी में वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 4 की शामलाती खातेदारी अधिकार कृषि आराजियात संख्या 405 रकबा 0.07 है0, आराजी संख्या 416 रकबा 0.09 है0, आराजी संख्या 510/404 रकबा 0.28 है0, आराजी संख्या 513/406 रकबा 0.32 है0, आराजी संख्या 516/409 रकबा 0.21 है0, आराजी संख्या 518/410 रकबा 0.22 है0, आराजी संख्या 520/411 रकबा 0.09 है0, आराजी संख्या 522/412 रकबा 0.08 है0, आराजी संख्या 524/413 रकबा 0.07 है0, आराजी संख्या 526/414 रकबा 0.17 है0, आराजी संख्या 528/415 रकबा 0.16 है0, आराजी संख्या 530/418 रकबा 0.05 है0, आराजी संख्या 532/419 रकबा 0.68 है0, आराजी संख्या 534/420 रकबा 0.33 है0, आराजी संख्या 536/441 रकबा 0.49 है0, आराजी संख्या 538/444 रकबा 0.15 है0, आराजी संख्या 540/446 रकबा 1.05 है0, आराजी संख्या 542/447 रकबा 0.21 है0, कुल किता 18 कुल रकबा 4.72 है0 भूमि में वादी संख्या 1 व 2 का संयुक्त रूप से 1/2 हिस्सा एवं प्रतिवादी संख्या 1 का 1/2 हिस्से का मौके पर कब्जे एवं हिस्से को ध्यान में रखते हुए बाई मीट्स एण्ड बोण्ड्स के आधार पर विभाजन हेतु प्राथमिक डिक्री जारी की जाती है। तहसीलदार रायपुर को विभाजन प्रस्ताव तैयार कर पेश करने हेतु लिखा जावे।

निर्णय आज दिनांक 10.05.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(नेहा छीपा)
सहायक कलेक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर जिला भीलवाड़ा

मूल वाद मे प्राथमिक डिक्री
(आदेश 20 रूल्य 6–7 जाब्ता दिवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,रायपुर जिला भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारीः–सुश्री नेहा छीपा, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बरः–110 / 2022 (2022 / 367) वादपत्र

उनवान

1. नेनुदास पिता केशुदास जोगी निवासी मण्डी तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2. शम्भुदास पिता केशुदास जोगी निवासी मण्डी तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

वादीगण

बनाम

1. पारसदास पिता बरदादास जोगी निवासी मण्डी तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2. कमला पुत्री बरदादास पत्नि मांगुदास जोगी निवासी मण्डी हाल नि.ठुमियां तह. आसीन्द
3. सन्तोष पुत्री बरदादास पत्नि प्यारा रावल जोगी निवासी मण्डी हाल नि.बागजणा त. करेड़ा
4. पानी पुत्री बरदादास पत्नि भंवरनाथ जोगी निवासी मण्डी हा.नि.मोखमपुरा मृतक के बजाय

4 / 1. कैलाशनाथ पिता भंवरनाथ जोगी निवासी मोखमपुरा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

4 / 2. भैरी पुत्री भंवरनाथ पत्नि हीरावन जोगी निवासी मोखमपुरा तहसील रायपुर

5. बड़ौदा राजस्थान क्षैत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा रायपुर जिला भीलवाड़ा जरिये शाखा प्रबन्धक
6. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

प्रतिवादीगण

वाद पत्र अंतर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

यह मुकदमा वास्त इन फिसान कतई रूबरू हमारे बहाजरी वादीगण का वाद पत्र स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है ग्राम मण्डी पटवार हल्का बागड़ तहसील रायपुर के बैरून हल्का आबादी में वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 4 की शामलाती खातेदारी अधिकार कृषि आराजियात संख्या 405 रकबा 0.07 है0, आराजी संख्या 416 रकबा 0.09 है0, आराजी संख्या 510 / 404 रकबा 0.28 है0, आराजी संख्या 513 / 406 रकबा 0.32 है0, आराजी संख्या 516 / 409 रकबा 0.21 है0, आराजी संख्या 518 / 410 रकबा 0.22 है0, आराजी संख्या 520 / 411 रकबा 0.09 है0, आराजी संख्या 522 / 412 रकबा 0.08 है0, आराजी संख्या 524 / 413 रकबा 0.07 है0, आराजी संख्या 526 / 414 रकबा 0.17 है0, आराजी संख्या 528 / 415 रकबा 0.16 है0, आराजी संख्या 530 / 418 रकबा 0.05 है0, आराजी संख्या 532 / 419 रकबा 0.68 है0, आराजी संख्या 534 / 420 रकबा 0.33 है0, आराजी संख्या 536 / 441 रकबा 0.49 है0, आराजी संख्या 538 / 444 रकबा 0.15 है0, आराजी संख्या 540 / 446 रकबा 1.05 है0, आराजी संख्या 542 / 447 रकबा 0.21 है0, कुल किता 18 कुल रकबा 4.72 है0 भूमि में वादी संख्या 1 व 2 का संयुक्त रूप से 1 / 2 हिस्सा एवं प्रतिवादी संख्या 1 का 1 / 2 हिस्से का मौके पर कब्जे एवं हिस्से को ध्यान में रखते हुए बाई मीट्स एण्ड बोण्ड्स के आधार पर विभाजन हेतु प्राथमिक डिक्री जारी की जाती है।

यह आज तारीख 10 / 05 / 2023 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मोहर से जारी की गई।

(नेहा छीपा)
सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर, जिला भीलवाड़ा